न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस
वाद संख्या :– 32/2022

उनवान

1 नरेन्द्र बैरवा पुत्र कजोड़मल बैरवा जाति बलाई निवासी मोहम्मद नगर धनि टोंक

वादी

बनाम

1 गीता
2 भगवती } पुत्रियान बद्रीप्रसाद

3 छीमली देवी पत्नि बद्रीप्रसाद

4 छीतरमल
5 सुरजा पुत्र घीसा } पि0 घीसा
समस्त जाति बलाई निवासी कुम्मावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

6. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री हजारी प्रसाद एडवोकेट वादी
श्री रामगोपाल गुप्ता एडवोकेट प्रतिवादी

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक 08.08.2022

वकील वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट के तहत पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम कुम्मावास तहसील शाहपुरा मे स्थित है जिसमें वादी 2/5 का सह खातेदार काश्तकार है, तथा प्रतिवादीगण 3/5 के सह खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण ने भूमि का बिना बंटवारा कराये ही उक्त आराजी में से हरे पेडों की कटाई करने लगे । प्रतिवादीगण ने नाजायज संगठन बनाकर कर खडे पेडो की जबरन कटाई करते रहने के कारण बंटवारा का वाद पत्र पेश किया गया । प्रतिवादी ने अपने अधिवक्ता के द्वारा वादोत्तर पेश किया गया । जिस पर उभय पक्षो को सुना जाकर प्रकरण में दिनांक 25.7.2022 को आदेश पारित किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम कुम्मावास तहसील शाहपुरा का खातेदारान को सूचित करते हुए उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तथा आराजी का मौका निरीक्षण कर कब्जा काश्त व आने जाने हेतु रास्ते को ध्यान मे रखते हुए राजस्व मण्डल के निर्देश कमांक 10546 दिनांक 5.10.2020 को ध्यान में रखते हुए सरस नरस के हिसाब से बंटवारा हेतु कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर नीयत तारीख पेशी से पूर्व पेश करें ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2022/2864 दिनांक 3.8.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई । कुर्रेजात रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया की प्रकरण मे विवादक बिन्दु कायम कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था । प्रकरण में प्राथमिक डिकी से असन्तुष्ट होकर राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गई है जिसमे सुनवाई जैरकार है। प्राथमिक डिकी के लम्बित रहते न्यायालय द्वारा प्रकरण मे अंतिम डिकी की प्रकिया रोका जाना न्यायासंगत है। वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि तहसीलदार महोदय के द्वारा बिना मौके पर जाकर प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में रिपोर्ट तैयार कर पेश की है तथा प्रतिवादीगण को उसका पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जावे एवं अन्त में निवेदन किया कि प्रकरण में प्राथमिक डिकी नहीं बनाई गई है इसलिए अन्तिम डिकी नहीं बनाई जा सकती । अन्त में वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी के विरूद्व प्रस्तुत अपील में निर्णय तक प्रकरण में आगामी पेशी नीयत किये जाने की आज्ञा प्रदान करावें । वकील वादी के द्वारा उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र में सीधी बहस करना जाहिर किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई वकील वादी के द्वारा अपनी बहस में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जाहिर किया गया कि प्रकरण में विवादक बिन्दुओं के सम्बन्ध में पूर्व में न्यायालय द्वारा 25.7.2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिकी किया गया है तथा माननीय अपीलीय अधिकारी के यहा से प्रकरण में आदिनांक कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए प्रकरण में अन्तिम डिकी किया जाना न्यायोचित है। वकील प्रतिवादी की आपत्ति में वकील वादी ने बहस में जाहिर किया कि प्रकरण मे विधिवत सुनकर, दिनांक 25.7.2022 को प्राथमिक डिकी किया जाकर बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त की गई है तथा तहसीलदार शाहपुरा ने मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी किया गया तथा नोटिस पर हस्ताक्षर करने से इन्कारी किये जाने से जाहिर है कि पक्षकारान जानबूझ कर मौके पर उपस्थित नहीं हुए तथा तहसीलदार शाहपुरा के निर्देशन में उप तहसीलदार मनोहरपुर के द्वारा तैयार होकर तहसीलदार शाहपुरा के कार्यालय से उनके पत्र कमांक 2864 दिनांक 3.8.2022 के द्वारा प्राप्त हुई है । वकील वादी ने प्रतिवादी वकील की आपत्ति कि प्रकरण में प्राथमिक डिकी नहीं बनाने के सम्बन्ध में जाहिर किया कि न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिक में विधिवत प्रकरण को प्राथमिक डिकी किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा न्यायालय हाजा में सभी प्रकरणों में इसी तहत से आदेश पारित किये जाते है। इस प्रकार बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट विधिवत तैयार होकर प्राप्त होने से अन्तिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया ।

वकील प्रतिवादी ने अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि आपत्ति प्रार्थना पत्र में पेश तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में सुनवाई का अवसर देते हुए अपील अधिकारी के निर्णय तक स्थगित रखा जावें ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वकील प्रतिवादी के आपत्ति प्रार्थना पत्र का वकील वादी द्वारा अपनी बहस में जाहिर किये गये विवेचन से हम सहमत है कि प्रकरण में विधिवत प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार के निर्देशन में उपतहसीलदार मनोहरपुर के द्वारा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी किया जाकर बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है तथा बंटवारा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व कमांक 861 दिनांक 29.7.222 के द्वारा पक्षकारान को नोटिस दिये जाने का तथा पक्षकारान/प्रतिवादीगण के द्वारा नोटिस लेने की इन्कारी करने का अंकन कुर्रेजात रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है।प्रकरण में अपीलीय न्यायालय में कोई स्थगन आदेश पारित किये गये है यह भी प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं किये गये है तथा प्रकरण में प्राथमिक डिकी किये जाने से पूर्व उभय पक्ष को विधिवत सुना जाकर दिनांक 25.7.22 को उभय पक्ष की दलीलों तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर प्रकरण में प्राथमिक डिकी पारित की गई है। इससे जाहिर होता है कि वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब किये जाने से यह आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अतः प्रकरण में वकील प्रतिवादी की आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर राजस्व रिकार्ड के दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट सही होना प्रतीत होती है ।दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम कुम्भावास तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.86 है0 भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :-

1. **वादी नरेन्द्र बैरवा पुत्र कजोड़मल बैरवा जाति बलाई निवासी मोहम्मद नगर धनि टोंक खातेदार के हिस्से में ख0नं0 172 रकबा 0.344 है0, भूमि रहेगी ।**
2. **प्रतिवादीगण सं0 1 से 5 के हिस्से में खसरा नम्बर 172/1 रकबा 0.516 है0, भूमि रहेगी ।**

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

…pnakhata.raj.nic.in/Owner_wise/Edharti_A4_Nakal_Villag...

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना , आर ए एस**
वाद संख्या :– **32/2022**

उनवान

1 नरेन्द्र बैरवा पुत्र कजोड़मल बैरवा जाति बलाई निवासी मोहम्मद नगर धनि टोंक

वादी

बनाम

1 गीता
2 भगवती } पुत्रियान बद्रीप्रसाद

3 छीमली देवी पत्नि बद्रीप्रसाद
4 छीतरमल
5 सुरजा पुत्र घीसा } पि0 घीसा
समस्त जाति बलाई निवासी कुम्भावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपर

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री हजारी प्रसाद एडवोकेट वादी
श्री रामगोपाल गुप्ता एडवोकेट प्रतिवादी

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 08.08.2022

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम कुम्भावास तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.86 है0 भूमि का पक्षकारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैं :–

1. **वादी नरेन्द्र बैरवा पुत्र कजोड़मल बैरवा जाति बलाई निवासी मोहम्मद नगर धनि टोंक खातेदार के हिस्से में ख0नं0 172 रकबा 0.344 है0, भूमि रहेगी ।**
2. **प्रतिवादीगण सं0 1 से 5 के हिस्से में खसरा नम्बर 172/1 रकबा 0.516 है0, भूमि रहेगी ।**

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 08.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल		जोड़	
जोड़			

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :–32/2022

उनवान

नरेन्द्र बैरवा बनाम गीता वगैरह

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक 25/7/22

वकील वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट के तहत पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम कुम्भावास तहसील शाहपुरा मे स्थित है जिसमें वादी 2/5 का सह खातेदार काश्तकार है, तथा प्रतिवादीगण 3/5 के सह खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण ने भूमि का बिना बंटवारा कराये ही उक्त आराजी में से हरे पेडों की कटाई करने लगे । प्रतिवादीगण ने नाजायज संगठन बनाकर कर खडे पेडो की जबरन कटाई करते रहने के कारण बंटवारा का वाद पत्र पेश किया गया । प्रतिवादी ने अपने अधिवक्ता के द्वारा वादोत्तर पेश किया गया कि वादी का किसी हिस्से पर कब्जा नहीं है। सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। आराजी का सह खातेदार वादी प्रतिवादीगण से कभी भी नहीं मिला बल्कि भू माफिया राघवेन्द्र के द्वारा बेनामी खरीद की है। प्रतिवादीगण ने अपने अतिरिक्त प्रतिवेदन में जाहिर किया कि उक्त आराजी पर केतागण ने कभी कब्जा प्राप्त नहीं किया इसलिए प्रतिवादीगण का आराजी पर 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने के कारण प्रतिवादीगण खातेदारी घोषणा के लिये प्रतिदावा पेश किया गया है ।

वकील अभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रतिवादीगण हरे पेड काटने लग गये इसी वजह से बंटवारा का दावा पेश किया गया है । वादी जरिये विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में केता का नाम दर्ज हुआ है तथा सह खातेदार होने से बंटवारा करवाने का हकदार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है तथा वादी का कब्जा नहीं होना गलत तथ्य पेश किया गया है । प्रतिवादीगण बिना बंटवारा करवाये हरे पेड काटने की वजह से यह वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। दावा पेश करने से पूर्व प्रतिवादीगण को आपसी सहमति से बंटवारा करवाने हेतु भी कहा गया लेकिन प्रतिवादीगण बंटवारा कराये जाने हेतु तैयार नहीं होने से यह बंटवारा पेश किया गया है। वादी मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है, तथा बाहर का व्यक्ति होने से तथा प्रतिवादीगण बहुसंख्यक होने व भूमि सहखातेदारी में होने से पेड काटने पर उतारू है इसलिए प्रकरण में प्राथमिक डिकी किया जाना उचित है।

वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा /दावोत्तर में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी टोंक का निवासी तथा कुम्भावास में नहीं रहता है । प्रकरण में काउण्टर क्लेम पेश किया गया है इसलिए जब तक विवादक बिन्दु नहीं बनते तक तक प्रकरण में कुछ नहीं हो सकता । काउण्टर क्लेम में जो तथ्य पेश किया गया है उनके आधार पर विवादक बिन्दु कायम होने पर साक्ष्य/सबूत पेश किये जायेगें । प्रकरण में वादी का विवादित आराजी कर कोई कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रकरण में विवादक बिन्दु कायम कर विधिवत निर्णय पारित किया जावें ।

हमने उभय पक्ष तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण के सहखातेदारी भूमि है वादी के द्वारा वादपत्र बंटवारा का पेश किया गया है लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा काउण्टर क्लेम पेश कर प्रकरण में विवादक बिन्दु कायम कर निर्णय करवाना चाहते है। उभय पक्ष की बहस के बाद पाया गया कि मुख्य बिन्दु विवादित आराजी में बिना बंटवारा कराये हरे पेड़ काटने का है तथा वादी बाहर का है, वादी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना यह विचारणीय बिन्दु सामने आता है कि वादी का कब्जा है या नहीं? प्रकरण वादी के द्वारा पेश किया गया है तथा सह खातेदार है यदि वादी का कब्जा नहीं होता तो वादी कब्जा दिलाने हेतु वादपत्र पेश करता जबकि वादी के द्वारा बंटवारा का वाद पत्र पेश किया गया है, इससे यह जाहिर होता है कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा है लेकिन वादी का क्षेत्रिय निवासी नहीं होने से उसकी अनुपस्थिति में सह खातेदारों के द्वारा विवादित आराजी से हरे पेड़ो की कटाई की जाती है जिससे वादी परेशान होकर यह वाद पत्र पेश किया गया है चूंकि प्रकरण बंटवारा का है तथा प्रकरण में देरी करने की वजह से प्रतिवादीगण के द्वारा यह काउण्टर क्लेम पेश किया गया है, वैसे भी प्रकरण में अन्ततोगत्वा/आखिरकार बंटवारा ही किया जाना है। विवादित आराजी का बंटवारा किये जाने से प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में कोई विपरित प्रभाव भी नहीं पडेगा चूंकि बंटवारे में दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

हिस्सा अनुसार दावा डिकी किया जाता है। इसलिए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण हेतु दावा बंटवारा हेतु प्राथमिक डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम कुम्भावास तहसील शाहपुरा का खातेदारान को सूचित करते हुए उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तथा आराजी का मौका निरीक्षण कर कब्जा काश्त व आने जाने हेतु रास्ते को ध्यान मे रखते हुए राजस्व मण्डल के निर्देश कमांक 10546 दिनांक 5.10.2020 को ध्यान में रखते हुए सरस नरस के हिसाब से बंटवारा हेतु कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर नीयत तारीख पेशी से पूर्व पेश करें । तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.7.2022 को सुनाया गया ।

(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
जिला जयपुर